

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक..... A/3445 /

जबलपुर, दिनांक 06/05 /2024.

श्रीमती नीतू विवेक संतोषी, जूनि.ज्यूडि.असि. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना दिनांक 22.08.2015 के नियम 38 ग के अनुसार दिनांक 19.04.2024 से दिनांक 02.06.2024 तक (शासकीय अवकाश रविवार सहित) 45 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया । स्वीकृत संतान पालन अवकाश पश्चात 505 दिन संतान पालन अवकाश की पात्रता शेष है ।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक..... A/3446 /

जबलपुर, दिनांक 06/05 /2024

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.) उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
2. असि. रजिस्ट्रार (एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. श्रीमती नीतू विवेक संतोषी, जूनि.ज्यूडि.असि. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(संदीप शर्मा)

प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)